

अपील संख्या – 92/2013/223 आर टी ए

1. सुलखनसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. नायबसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. मखनसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

---अपीलांटस

बनाम

1. सरजीतसिंह उर्फ सुरजीतसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कौरसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. एसबीबीजे शाखा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ जरिये प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

--- रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.03.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा

प्र० सं. 114/2012 अनवानी सरजीतसिंह बनाम कौरसिंह आदि

उपस्थित :-

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांटस

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 2

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 4

निर्णय

दिनांक:-30.07.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेंट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर संयुक्त खाते में दर्ज भूमि के संबंध में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन

निर्णय के जरिये दावा स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने के बाद अपीलांट की ओर से अभिभाषक करणीसिंह उपस्थित आये तथा पत्रावली वास्ते अन्य प्रतिवादी एवं जवाबदावा हेतु आगामी तारीख पेशी मुकर्रर की गई इसी दौरान पीठासीन अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप स्थानीय बार संघ द्वारा लगाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं देने प्रस्ताव अनिश्चित कालिन पारित करने पर जब अपीलांटस दिनांक 29.10.2012 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा कार्य स्थगन का प्रस्ताव होने से सभी प्रकरणों की पेशी जरिये सार्वजनिक नोटिस 26.11.2012 गई होने का कहा गया एवं इस कारण विचाराधीन प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं होने का कहते हुए आवश्यकता होने पर बुलवा देने का कहा गया था परन्तु स्थानीय बार संघ का आन्दोलन का पता करने जब दिनांक 08.03.2013 को अपीलांटस सं० 1 अपने अभिभाषक से मिलने गया तथा विचारण न्यायालय में भी गया तब पता चला कि पीठासीन अधिकारी दौरे पर है तथा सभी प्रकरणों की पेशी नोटिस से 05.04.2013 दे दी गई है। इस कारण अपीलांटस विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.03.13 व 28.03.13 को उपस्थित नहीं आये तथा दिनांक 02.04.2013 को जब अपीलांट को रेस्पों सं. 1 ने यह कहा कि मैंने तो 28.03.2013 को न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज करवा दिये है उसी आधार पर प्रश्नगत भूमि जो दावा में दर्ज की है उसी अनुसार निर्णय होना है। तब उसी दिन न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को सुने जाने का कहने पर पता चला कि दिनांक 28.03.2013 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है।

4. दिनांक 22.03.13 का किसी प्रकार नोटिस अपीलांट को कभी प्राप्त नहीं हुआ।

पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली कतई सदिग्ध होने के कारण ही सभी अभिभाषकगण द्वारा कार्य स्थगन कर रखा था जो प्रस्तुत पत्रावली में आदेशिका का अवलोकन से ही स्पष्ट है कि पेशी 05.04.13 दी जाकर बाद में पेशी बिना किसी सूचना के 22.03.13 मुकदमे प्रकरण में वादी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से प्रकरण का निस्तारण अपीलांटस का जवाब एवं स्टेट जो आवश्यक पक्षकार है, का जवाब लिये बिना विधि विरुद्ध तरीके से प्रकरण का निस्तारण किया गया है। अपीलांटस के नाम रेस्पों सं. 1 के साथ चक 6 एलजीडब्ल्यू में भी भूमि थी जिसमें अपीलांटस ने कोई हिस्सा नहीं लिया है एवं अपना समस्त हिस्सा रेस्पों सं. 1/वादी को दे दिया जो प्रस्तुत जमाबंदी से सिद्ध होता है जिसमें अपीलांटस का समस्त हिस्सा रेस्पों सं. 1 के हिस्से में बढ़कर आया है तथा रेस्पों सं. 1 ने प्रश्नगत चक 7 एलजीडब्ल्यू-ए के प.न. 36/284 के मुताबिक पारिवारिक समझौता 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अपीलांटस को काबिज करवा दिया था परन्तु उक्त समस्त तथ्य बाद जवाबदावा सम्पूर्ण साक्ष्य आकर ही तय होने थे विचारण न्यायालय के द्वारा विधिक प्रावधानों का गलत रूप से दुरुपयोग करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि जिला कलैक्टर महोदय हनुमानगढ़ द्वारा भी सहायक कलक्टर पीलीबंगा के भ्रष्ट आचरण के कारण उनके यहां विचाराधीन प्रकरणों को सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के यहां स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर पक्षकारान का जवाब साक्ष्य सुनवाई का मौका दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पों ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पों सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर संयुक्त खाते में दर्ज भूमि के संबंध में खाता विभाजन का

अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसमे प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की ओर अभिभाषक उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया। दिनांक 08.03.13 प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित आये। दिनांक 22.03.13 को प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 रजिस्टर्ड एडी से तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर तथा बार-बार आवाज लगाये जाने के बाद उपस्थित न आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण/रेस्पोंडेंट डिक्री करते हुए काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया गया जो सही है। अपीलांत द्वारा अपील में अंकित तथ्य कतई निराधार होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांत जानबूझकर दावा में उपस्थित नहीं हुये तथा जवाबदावा आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांत को अपीलाधीन निर्णय का शुरु से ही ज्ञान रहा है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई जो मियाद पर ही खारिज होने योग्य है। अपीलांत की तामील भी विधिवत तरीके से करवाई गई। अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा प्रकरण में बिना प्रभावित पक्षकारों को सुने विभाजन अपीलाधीन निर्णय के जरिये दावा डिक्री किया गया है। इस प्रकार अपीलांतस को सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान किये बिना ही तथा विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना

करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति में समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विहित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध में तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.08.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़